रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 89] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1973/चैत्र 26, 1895

No. 89] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1973/CHAITRA 26, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th April, 1973

SUBJECT:—*Licensing conditions for the U.K./India Mixed Project Loan, 1972.*

No. 55-ITC(PN)/73.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the "U.K./India Mixed Project Loan 1972" as given in the Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade.

APPENDIX

LICENSING CONDITIONS FOR THE U.K./INDIA MIXED PROJECT LOAN 1972

1. *General conditions*

1. The import licence will bear the superscription "UK/India Mixed Project Loan 1972". The two suffixes after the licence number in the licence code will be S/KK.

2. No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except UK Bank charges which may be remitted through normal banking channels. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian Rupees to the Agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence

3. The licence will be issued with an initial validity period of 24 months. This period can be further extended if there is adequate justification to do so. Firm orders on C. I. F. or C & F basis must be placed within four months from the date of issue of the import licence. If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority during 5th month giving the reasons for the delay in placing orders, indicating the date by which orders would be placed and seeking extension in the period for ordering, as necessary. Such requests will be considered on merits by the CCI & E in consultation with the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary. (*It should be noted that unless ordering is completed within 4 months or the extended period allowed by the licensing authority in any case,* the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of Letters of Credit, or deposit of rupee equivalent.)

4. All payments must be completed within one month after expiry of licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. No credit facility of any kind will be permitted.

II. *Special points to be incorporated in the order/contracts or otherwise kept in view.*

1. While placing orders/contracts which must be placed *only on supplied in* the U.K., (which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or will be wholly or mainly produced or manufactured in the United Kingdom, or in the case of chemicals and allied products are declared to be of U.K. origin on the form attached as Annexure II(B). When the Contract also provides for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured by a suitable provision therein that such works and services are or will be provided by persons ordinarily resident or carrying on business in the U.K. (It should be noted that the supplier/contractor will have to sign a Contract Certificate as provided in Section II below, indicating the non-U.K. content, if any, of the goods to be supplied or in the case of chemicals and allied products, declare them to be of U.K. origin). The non-U.K. element, if any, should not exceed 20 per cent of the F.O.B. value of the contract, as otherwise the contract may become ineligible for financing under the U.K. Loan. If the non-U.K. element is likely to exceed the limit of 20 per cent of the F.O.B. value of the contract, this should be brought to the notice of the Department of Economic Affairs (Controller of Aid Accounts), Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi and firm commitments should be entered into only if the Department of Economic Affairs agree.

2. A clause should specifically be included in the contract to the effect that the contract is subject to and will become effective only on approval by the Government of India and the U.K.

3. The documentation requirements mentioned in the Section III and V below and the Payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

III. *Contract acceptance*: (Notification of Contract and Amendments thereto)

1. Immediately on placement of orders on the British Supplier, the Indian importer should furnish copies of the contract to the Administrative Ministry and the Ministry of Finance. Within a fortnight of approval of contract by the Government of India in respect of each order placed on the foreign supplier, the licensee should forward four copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure I) accompanied by five copies of the "Contract Certificate" (in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) as is appropriate) duly signed by the U.K. supplier, to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi.

N. B.—*As no payments can be made the contract is duly approved by the U.K. Government, it is most imperative for the licensee to ensure that copies of contract/notification of contract along with supplier's Contract Certificate are forwarded to the Ministry of Finance (Controller of Aid Accounts, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi in the manner stated above at the earliest.*

2. While forwarding the above documents to the Ministry of Finance, it must be ensured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the Credit are clearly noted in the documents.

3. The Ministry of Finance, will arrange through the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London to file a set of the documents with the U.K. Government

for obtaining their acceptance to the payments under the contract being made out of the U.K. Credit. As soon as possible after the decision of the U.K. Government is known, the U.K. Supplier as well as the licensee will be informed of the same direct by the Chief Accounting Officer High Commission of India, London, under advice to the Ministry of Finance.

If at any time, a contract (being a contract in respect of which acceptance of U.K. Government has been obtained or is pending) is amended, or if liability is to be incurred thereunder to a greater amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should obtain the approval of the Government of India and thereafter promptly forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to the contracts and revised "Contract Certificates" to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, in order to enable him to notify the same to the U.K. Government and to obtain their acceptance. As soon as acceptance to an amendment to the contract/order is received from the U.K. Government, the licensee and the Ministry of Finance will be notified by the High Commission of India, London in the same manner as for the original contract.

5. If, in any case, the contract is with the Indian Agent of the foreign suppliers, it should indicate the name of the U.K. supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract, which alone will qualify for payment under the U.K. Loan. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian Agents with U.K. Suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

IV. *Payment to U.K. Suppliers--Letter of Credit Procedure*

N.B.—The payment procedure normally applicable is laid down below. In special cases a different payment procedure may be laid down and in that case the import licence will be issued subject to such special procedure).

1. After receipt of intimation regarding Contract Acceptance from C.A.O., High Commission of India London (vide Section III above), the licensee should apply to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi for a *Letter of Authorisation* to any of the Exchange Banks in India for opening Letter of Credit in favour of the U.K. Suppliers with one of the correspondent banks in the U.K. The request for the Letter of Authorisation should be in the form given as ANNEXURE III and should be accompanied by a Bank Guarantee (in the form given in ANNEXURE IV) obtained from an authorised dealer in foreign exchange in India. The Bank Guarantee should be for an amount not less than the rupee equivalent of the value in sterling of the proposed Letter of Authority. The composite rate of conversion as per late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 110-ITC(PN)/71, dated the 1st September, 1971 (for the period from 23rd August 1971 to 19th December, 1971), Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 (for the period from 20th December, 1971 to 25th June 1972) and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated 21st July, 1972 from 26th June, 1972 onwards until further notice, shall be applied for calculating the rupee equivalent. The rate of exchange to be applied for the rupee equivalent will be calculated at the composite rate of exchange as notified by the C.C.I.&E through public notices from time to time and by the Reserve Bank of India through the exchange control circulars issued from time to time to the Authorised Dealers in foreign exchange. The application for the Letter of Authorisation should be addressed by the licensee to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi.

NOTE.—No Bank Guarantee is required from Public Sector projects. In such cases the Letters of Credit will be opened through any Branch of the State Bank of India (including its subsidiaries) or any Branch of any of the Nationalised Banks.

2. If the application is found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi, will issue an Authorisation for the requisite amount to the importer and the Indian Exchange Bank concerned incorporating, *inter alia*, the Contract Approval Number of the U.K. Government. The Ministry of Finance will also advise the U.K. Bank concerned and the Chief Accounting Officer, High Commission of India London suitably. The advice to the U.K. Bank will, however, be sent to the Indian Exchange Bank concerned along with their copy of the Authorisation Letter, who should then transmit it to the U.K. Bank while opening the Letter of Credit.

3. The Letter of Credit should be opened within a month from the date of issue of the Authorisation (under intimation to the Ministry of Finance) failing which the Authorisation will lapse. The Letter of Credit should detail the conditions to which the licence is subject; should provide for payment to the suppliers on the submission of all

the documents detailed in Section V below; should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment and should be opened subject to the condition that the correspondent Banks in the U.K. would, after making payments to the beneficiaries initially out of their own funds, obtain reimbursement therefor from the State Bank of India, London, through the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London. The Indian Exchange Bank's instructions regarding the opening of Letter of Credit must accord completely with the Authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

4. The Letter of Credit should be clearly marked with the Loan title and with the U.K. Authorities' Contract Approval Number.

V. *Documentation*

1. The importer is responsible to see that the U.K. Supplier completes and submits the documents detailed below to the U.K. Bank at the time of claiming payment for the goods supplied

(i) The original invoice, with four photo copies or copies by any other process. The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed description of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (F.O.B., C&F., C.I.F. & F.A.S.) and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.

(ii) One copy (or photostat) of ocean or charter Bill of Lading or airways bill or Parcel post receipt. (The Bill of Lading shall indicate the carrier's statement of charges in whatever currency it is paid).

(iii) Four copies of the payment certificate in the form given in ANNEXURE V [not required in respect of Contracts for which a contract certificate (Chemicals) in the form given in ANNEXURE II(B) has been provided.] For this purpose, five blank forms of the payment certificate in the prescribed form should be attached to the Letter of Credit for completion by the Supplier at the time of obtaining payment.

Each document must show the loan number, details of import licence, and if possible, the particulars of the Letter of Credit Authorisation issued by the Ministry of Finance.

2. While opening Letters of Credit, the authorised exchange Bank in India will, on behalf of the importer, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of Credit and ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the U.K. Suppliers.

3. After payment is made to the U.K. suppliers, the Correspondent Bank in the U.K. will send by *Air Mail* the original negotiable set of documents to the Indian bank concerned. (The Indian Bank will *remit the bank charges* to the U.K. Bank and recover the same from the importer). Simultaneously the U.K. Bank will claim the reimbursement of the amounts paid by it to the U.K. suppliers from the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London and will submit for this purpose invoices received from the suppliers and payment certificates as in ANNEXURE V where required. The Chief Accounting Officer, High Commission of India, will arrange payments to the U.K. Bank through the State Bank of India, London.

VI. *Indian Banks Responsibility for Rupee Deposits*

1. Within 7 (seven) days of the receipt of the advice of payment along with shipping documents from the U.K. correspondent bank, the Indian Bank concerned shall collect from the importer, the cost of import in rupees at the "composite rate of exchange" prescribed for this purpose from time to time by the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi *vide* late Ministry of Foreign Trade Public Notices No. 110-ITC(PN)/71, dated 1st September, 1971 (for the period from 23rd August 1971 to 19th December 1971), Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 (for the period from 20th December 1971 to 25th June 1972) and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated 21st July 1972, from 26th June 1972 onwards until further notice or by the Reserve Bank of India through Exchange Control Circulars to the Authorised Dealers in foreign exchange, plus interest charges at 6 per cent per annum for the period from the date of payment to the U.K. Suppliers by the U.K. Bank to the date of deposit of the rupee equivalent into the Government Account.

2. The amount referred to above should be deposited by the Indian Bank to the credit of the Government of India in the Reserve Bank of India New Delhi, or the State Bank of India, Delhi or if this is not feasible, should be remitted by means of a Demand Draft

drawn on and in favour of the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi. Thereafter, the treasury challan evidencing the deposit should be sent by registered post to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi indicating references to and enclosing copies of the invoices/shipping documents and the authorisation of that Department to which the transaction relates. The Indian bank concerned shall also arrange to deposit in the same manner such additional amounts on account of service charges as may be demanded by the Government of India, within 7 (seven) days after such demand. The licensee should also fill in, in duplicate, the Form 'S' incorporated in Annexure II of the late Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated 30th August, 1968 and present the same to their Bank while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the said Public Notice.

3. The amounts including interest charges to be deposited to the Credit of the Government of India shall be creditable under the Head of Account.

> "Section T—Deposits and Advances—Part II—Deposits—Deposits not bearing interest—(C)—Other Deposits Accounts—Civil Deposits—Deposits for Purchases Abroad from the U.K.—Purchases under U.K. Loan—Purchases under the UK/India Mixed Project Loan 1972."

and the Accountant General, Central Revenues, New Delhi shall be shown as the Accounts Officer who will adjust these credits.

4. After the obligations in terms of the Bank Guarantee and the Letter of Credit Authorisation issued by the Ministry of Finance are fulfilled, the Indian Bank concerned can apply to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10-Parliament Street, New Delhi for the release of the Bank Guarantee. The application must be made by the Indian Bank concerned (not by the importers) and must be in the form laid down in ANNEXURE VI.

VII. *Reports on the utilisation of the Import Licence*

A quarterly report, in the form attached as ANNEXURE VII, showing the utilisation status of the licence, should be furnished on the 15th of the month following the quarter to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE II Section) New Delhi, with a copy to the Ministry of Industrial Development, Foreign Exchange Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

VIII. *Miscellaneous Instructions*

1. *Refunds from U.K. Suppliers.*—If any money is received by the licensee from the U.K. Suppliers or a Guarantor (insurance company etc.) as a refund or in settlement of insurance claim or otherwise, such amounts should be refunded by the supplier to the concerned corresponding bank in the U.K. (from which the payment was initially made to the supplier) with instruction to refund the amount immediately in turn, to the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London, for crediting the loan Account. After the loan account is so credited, an equivalent amount in rupees will be arranged to be refunded to the importer by the Ministry of Finance, upon receipt of a claim therefor from the importer. If any refund is received after the closure of the loan, the same will have to be made by the Supplier direct to the importer.

As and when any such refund is received, a report thereof should be made to the Ministry of Finance with a copy to the Ministry of Industrial Development, Foreign Exchange Section, Udyog Bhawan, New Delhi.

2. *Notifying suppliers of Special Conditions.*—The licensee should apprise the Supplier of any Special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

3. *Disputes.*—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

4. *Future Instructions.*—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Credit Agreement.

5. ***Breach or violation.***—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act, 1947 and the orders issued thereunder.

IX. *List of Annexures by titles*

1. ANNEXURE I . Notification of Contract.
2. ANNEXURE II . Contract Certificate.
3. ANNEXURE II(B) . Contract Certificate (Chemicals).
4. ANNEXURE III . Form of Application for letter of Credit Authorisation.
5. ANNEXURE IV . Form of Bank Guarantee.
6. ANNEXURE V . Payment Certificate.
7. ANNEXURE VI . Form of Application for release of Bank Guarantee.
8. ANNEXURE VII . Monthly Report on ordering and utilisation of the Import Licence.

ANNEXURE I

NOTIFICATION OF CONTRACT

UK/INDIA MIXED PROJECT LOAN 1972

To

The Crown Agents for Oversea Governments
and Administrations,
4, Millbank, London SW1.

Project _____

Notification of Contract No._____

The following are details of a contract under which it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above loan.

1. Name and address of United Kingdom Contractor
2. Date of Contract
3. Name of Indian Purchaser
4. Short description of goods and/or works or services.
5. Value of Contract : £ _____
6. Terms of Payment.

Signed on behalf of the Government of India

Date_____

ANNEXURE II

UK/INDIA MIXED PROJECT LOAN 1972

CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of Contract

1. Date of contract.....2. Contract No.....
3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.....
.....
.....

If a number of items are to be supplied, a detailed list should be appended to this certificate.

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F, or FOB) £.....
.....

If goods are to be supplied the following sections must be completed.

If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer.

5. Estimated% of the FOB value of the goods not originating in the United Kingdom, but purchased by the contractor directly from abroad i.e. % of imported raw material or components used to manufacture

(a) % FOB value.....

(b) Description of items and brief specifications.....

6. If any raw material or components used originated from abroad e.g. copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc., but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify :—

(a) % V.O.B. value.....

(b) Description of items and brief specifications.....

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED, THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED.

7. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by :—

(a) Your firm (site engineer's charges, etc.) .....

(b) Local contractor.....

8. *Qualifying remarks as necessary in respect of paragraph 5, 6 or 7 above.*

9. I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the Contractor other than those specified in paragraphs 5, 6, 7 and 8 above.

NOTE:—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

Signed .....
Position held.....
Name and address of contractor .....

CONTRACTORS SHOULD NOTE THAT GOODS SHOULD NOT BE MANUFACTURED UNTIL ACCEPTANCE HAS BEEN NOTIFIED.

.....
.....

Date .....

FOR OFFICIAL USE ONLY.

Name or number of Project ..... PAYMENTS

Amount Committed.	Date of Entry.	Acceptance : Date	Initials.	Date	Amount	PA No.	Initials

ANNEXURE II (B)

UK/INDIA MIXED PROJECT LOAN, 1972

CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS ONLY

1. Date of Contract .....Contract No.....
Licence No.....DATE.....

2. Description of Product (s) to be supplied to Purchaser. (Note A)	PRICE	U.K. Tariff Classification No. (Note B)	Is the Product of U.K. origin ? (See Note C) State 'Yes' or 'No'
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	
.....	.....	.....	

3. Total/Estimated/Contract price payable by Purchaser in Sterling—£

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this Certificate and that the above information is correct.

Signed .....

Position held .....

Name and Address of Contractor.....

.....

Date.....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by the appropriate sub-headings of Chapters 15, 25, 28-35 and 37-40 of the U.K. Tariff.

B. *SEE*

(i) H.M. Customs & Excise Tariff H.M.S.O.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature H.M.S.O.

C. (i) A product is regarded as of 'U.K. origin' if made *either* wholly from indigenous U.K. materials *or* according to the appropriate EFTA qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedule I of the 'EFTA Compendium for the Use of Exporters', H.M.S.O.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the "alternative percentage criterion" does not apply.

(iv) The words "Area Origin" where they appear in the above Schedule must be taken to mean "U.K. Origin" only.

(v) For the purposes of this declaration, the "Basic Materials List" (Schedule III of the EFTA compendium) does not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question, advice should be sought from the Government of the United Kingdom.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE III

FORM OF APPLICATION FOR LETTER OF CREDIT AUTHORISATION

To

The Controller of Aid Accounts,
Economic Aid Accounts Section,
Ministry of Finance,
(Department of Economic Affairs)
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi.

SUBJECT :—Import of.....from U.K. under U.K./India Mixed Project Loan, 1972.

Sir,

In connection with the import of.....from U.K. against the above U.K. Loans, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the U.K. Bank designated by you :—

(a) Particulars of Import Licence :

No. & Date	*Value (Rs.)*	*Date upto which valid.*

(b) Sterling value of licence.

(Calculated at £ 1 per Rs. 18.963) or such other "central rate" as may be notified by Government of India and/or Reserve Bank of India from time to time.

(c) Sterling value of the orders placed for which authorisation is required specifying the name and address of the U.K. supplier/suppliers and the amount/s of authorisation required separately against each supplier (copy of orders placed and U.K. suppliers' acceptance thereof to be attached).

(d) Name of U.K. Correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

(e) Name of the Indian Bank which has furnished the Bank Guarantee and which will open the Letter of Credit.

The Bank Guarantee furnished by.....and which
(Name of Bank)
has been duly adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 31 of the Stamp Act, 1899, is attached.

Yours faithfully,

(Signature of the Licensee
and full Address)

ANNEXURE IV

FORM OF BANK GUARANTEE

To

The President of India,
Through Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
New Delhi.

Sir,

In consideration of the President of India hereinafter referred to as 'the Government' having agreed to arrange for payment in foreign currency of the price of goods to be imported by

* (i) ..... Individual/partners.
(ii) ..... working under the name
(iii) ..... and style of M/s.....
.....
[Name(s) & Address(es)]

*Messrs.....a company having its registered office at.....
in the State of.....hereinafter referred to as the Importers" under Import Licence No.....dated..... granted for.....
.....rupees. We,.....hereby guarantee that we shall arrange

deposit to the credit of the Government in the Reserve Bank of India, New Delhi/State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi or by means of Demand Draft Drawn on and in favour of State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi, (for Credit to the Central Government Account) to be forwarded to the said Tis Hazari Branch—

(i) within seven days of the receipt of advice of payment with shipping documents, from the UK Banks, of rupeee equivalent of the invoiced price representing the sterling disbursements made by the UK Banks, under the letter of credit authorisation issued by Ministry of Finance, at the composite rate of exchange prescribed for this purpose by the C.C.I.&E., which *vide* late Min. of Foreign Trade Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-1972 read with Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972 at present is £1 Rs. 19·06 until further notified through Public Notice, or by the Reserve Bank of India through Exchange Control Circulars to the Authorised Dealers in foreign exchange, along with interest thereon at six per cent per annum from the date of payment to UK suppliers to the date of deposit of rupee equivalent and UK Bank Charges.

(ii) within seven days of the demand by the Government of such additional amount as may be demanded by the Government as being due on account of service charges.

2. We,.....undertake to pay to the Government on demand and without demur such sum not exceeding.....rupees (*plus interest and service* charges as aforesaid) as may be demanded by the Government in the event of the importers failing or neglecting to make any of the above mentioned said payments and the decision of the Government as to such failure or neglect on the part of Importers and as to the amount payable to the Government by us here under shall be final and binding on us.

3. We,.....agree and undertake not to release shipping documents to the Importers until after the rupee equi alent as aforesaid and the other dues, if any, as demanded by Government are deposited to the credit of the Government.

4. We,.....agree and undertake not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the Importers or of our Bank.

6. The Government shall have the fullest liberty without affecting this guarantee to vary any of the terms of the Import Licence detailed above or to extend the time for payment by the Importers from time to time or to postpone for any time and from time to time any of the powers exercised by the Government of the liberty with reference to the amount of aforesaid or any reason of any such variation or extension of time being given to the Importers of any forbearance, act or omission on the part of the Government of any indulgence by the Government to the importer or by any of the matters or things whatsoever which under the law relating to sureti s shall but for this provision have the effect of so releasing us..... Bank from our such liability.

Our liability under this bond/gurantee is restricted to Rs..... (plus interest and service charges as aforesaid) and it will remain in force till the.....** day of.....(month).....197 We also undertake to make such additional deposits as may be necessary in terms of late Min. of F.T. Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28-1-1972 read with Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July 1972 or as notified from time to time. Unless claims under the bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter i.e. upto.....all Government's rights under this bond/guarantee shall be forefeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Yours faithfully,

Signature of the Authorised Officer of the Bank & Bank's full address.

Place .....
Date .....

(The Bank Guarantee is to be executed on a non-judicial stamp paper, the value of the stamp being adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of Section 21 of the Indian Stamp Act, 189

---

strike out whichever is not applicable.

This date should be a date falling one month to the date by which all payments are expected to be realised.

ANNEXURE V

U. K./INDIA MIXED PROJECT LOAN, 1972

PAYMENT CERTIFICATE

I hereby certify that

(i) the payments referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No.....dated.....between the contractor named below and.....Purchaser.....and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on.....

Contractor's Invoice No.	Date	Amount	Short description of goods/ works and/or services.

(ii) the amounts specified in paragraph (i) do not include any additional foreign content to that declared in Paragraphs 5, 6 or 7 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the Contractor named below.

Signed.....

Position held.....

For and on behalf of.....

Name and address of Contractor.....

.....

Date.....

NOTE :—For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE VI

FORM OF APPLICATION FOR RELEASE OF BANK GUARANTEE

To

The Controller of Aid Accounts,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
Jeevan Deep Building,
10-Parliament Street,
New Delhi.

Sir,

We are furnishing below detailed information on the rupees deposit made by us in discharge of our obligations under Bank Guarantee No.....dated.....for an amount of Rs.....with the request that the same may be released and returned to us.

1. The name and full address of the importer/licensee on whose behalf the bank guarantee was furnished.

2. The Import Licence No., date, value and brief description of the commodities allowed for import thereunder.

3. Particulars of the authorisation(s) for opening Letters of Credit obtained from the Ministry of Finance.

(a) Letter No. and date.

(b) Amount of authorisation.

(c) U.K. Loan No.

4. Particulars of Imports and rupee deposits made (to be given separately for each Letter of Credit Authorisation).

(a) Particulars of Letters of Credit opened (No., date, value and the supplier's name).

(b) Invoice No. and date relative to each Letter of Credit.

(c) Amount of Invoice (net) in sterling.

(d) Amount of rupee deposit.

(e) Relative challan No. and date and the name of Treasury/Bank.

(f) If by demand draft, No. and date of the demand draft and the No. and date of the Letter with which the draft was sent to the State Bank of India, Delhi.

5. Amount utilised and balance unutilised (sterling) in each Letter of Credit Authorisation.

II. We certify that—

(1) *The balance amount of £ .....available in the authorisation(s) given by the Ministry of Finance has not been utilised/will not be utilised.

OR

No Letter of Credit was opened under the authorisation(s) and the authorisation(s) lapsed.

OR

The Letter of Credit was opened against the authorisation letter(s) expired unutilised; and

(2) Our obligations under the bank guarantee in question have been duly discharged.

III. We request that the bank guarantee may please be released and returned to us for cancellation.

Yours faithfully,

Authorised Agent for and on behalf of the Bank.

*whichever is applicable.

ANNEXURE VII

FORM OF UTILISATION REPORT IN RESPECT OF U.K./INDIA MIXED PROJECT LOAN, 1972.**

Utilisation report for the period of 1st *April* to 30th *June*
1st *July* to 30th *September*
1st *October* to 31st *December*
1st *January* to 31st *March*

(**The portion not applicable will be deleted. The report will be rendered and availability at the end of the quarter by the 15th of the month following the quarter)

(to be furnished separately in respect of each licence)

1. Name of the Importing Firm.

2. Particulars of U.K. Credit.

3. No. and Date of the Import Licence and the date upto which it is valid

4. Value of the Import Licence. (Both in rupees and Sterling)

5. Value of the complete contracting documents forwarded so far to the Ministry of Finance (Please give details of contract Nos. and Value No. and dates of authorisations, issued by Controller of Aid Accounts).	No. and date of Contract and the name of supplier.	Value in £.	No. and date of L/A issued by CAA or of transmission to CAO for approval of ODA.
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	Total :		

6. Payments made to the U.K. suppliers (up-to-date).	Name of suppliers	Total amount paid in Sterling
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	Total :	

7. Payments yet to be made in respect of the contracts already approved. The year & the quarters in which the payments are likely to be made may be indicated.
8. Value of further orders intended to be placed on U.K. Suppliers.
9. Surrenders, if any.

Signature of the authorised Officer of the Importing Firm.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1973

विषय.—यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972 के लिए लाइसेंस शर्तें ।

संख्या 55—आई० टी० सी० (पी०एन)/73 "यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972" के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में लागू होने वाली जैसी शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे व्यवसायी की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972 के लिए लाइसेंस शर्तें

1. सामान्य शर्तें :

1. आयात लाइसेंस का शीर्षक "यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972" होगा । लाइसेंस संख्या के बाद लाइसेंस कोड में दो प्रत्यय एस/ केके होंगे ।

2. यू० के० बैंक प्रभारों के अतिरिक्त जो सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से प्रेषण किए जा सकते हैं, किसी भी विदेशी मुद्रा का प्रेषण आयात लाइसेंस के लिए स्वीकार नहीं होगा । भारतीय अभिकर्त्ता सम्बन्धी कोई भी भुगतान भारत स्थित अभिकर्त्ताओं को भारतीय मुद्रा में ही किया जाना चाहिए । लेकिन इस प्रकार के भुगतान, लाइसेंस के मूल्य के अंश होंगे और ये इस लिए, लाइसेंस के लिए लिये जाएंगे ।

3. लाइसेंस 24 महीनों की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किए जायेंगे । यह अवधि और आगे बढ़ाई जा सकती है यदि इसके लिए पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत किए जाते हैं । पक्का आदेश लागत बीमा-भाड़ा या लागत-भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के चार महीने के भीतर अवश्य दे दिए जाने चाहिऐं । यदि आदेशवैध कारणों से चार महीने के भीतर नहीं दिए जा सकते तो, लाइसेंस को लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के पास पांचवें महीने के दौरान जमा कर देना चाहिए और इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देरी क्यों हुई और यह भी संकेत कर देना चाहिए कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि-वृद्धि आवश्यक हो, इसे भी बता देना चाहिए । जहां जरूरत होगी, इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के साथ परामर्श कर पात्रता के आधार पर विचार

किया जाएगा। इसे ध्यान में रखना चाहिये कि जब तक आदेश देने की 4 महीने की अवधि या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी भी मामले में बढ़ाई गई स्वीकृत अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तब तक विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र को स्थापना करने या सन्तुल्य रुपये जमा करने के लिये अनुमति नहीं देंगे)।

4. लाइसेंस अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर सभी भुगतान पूरे कर दिए जाने चाहिए अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था माल के पोतलदान पर ही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की साख सुविधा की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

2. आदेशों/संविदाओं या अन्यथा रूप में सम्मिलित की जाने वाली विशेष बातों का ध्यान रखना

1. जब आदेश/संविदा दी जा रही हो जोकि केवल यू० के० (जिसकी अभिव्यक्ति में चैनल आइलैंड तथा आयल आफ मैन शामिल हैं) संभरकों को दी जानी चाहिए। लाइसेंसधारी को उसी में दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू० के० में उत्पादित अथवा निर्मित हैं या होंगे या रसायनों तथा संबद्ध उत्पादों के मामले में अनुबद्ध 2 बी के रूप में संलग्न प्रपत्र पर यू० के० मूल के होने की घोषणा कर दी गई है। जब इस प्रकार के माल खरीदने से संबंधित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू० के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है उसके द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संभरक/संविदाओं को नीचे के खंड 3 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार एक संविदा प्रमाण-पत्र संभरित किए जाने वाले गैर यू० के० माल का यदि कोई हो, संकेत करते हुए या रसायनिक और संबद्ध उत्पादकों के मामले में यह घोषणा करते हुए कि वे यू० के० मूल की है, उस संविदा-प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। गैर-यू० के० माल यदि कोई हो, तो उसे संविदा के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा संविदा यू० के० ऋण के अन्तर्गत अर्थयुक्त करने के लिए अपात्र हो सकती है। यदि गैर-यू० के० माल को संविदा के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक होने की सम्भावना है तो इसकी सूचना आर्थिक कार्य विभाग (नियंत्रक सहायता लेखा) जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को दे देनी चाहिए और पक्के वायदे तभी करने चाहिये जबकि आर्थिक कार्य विभाग सहमत होता है।

2. संविदा में इस सम्बन्ध में एक वाक्यांश अलग से यह जोड़ दिया जाना चाहिए कि संविदा इसके अधीन है और यह केवल भारत तथा यू० के० सरकार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी।

3. नीचे के खंड 3 तथा 5 में बताई गई प्रलेखन-आवश्यककर्त्ताओं और नीचे के खंड 4 में निर्धारित की गई भुगतान प्रक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें संविदा में उचित रूप से शामिल कर देना चाहिए।

3. संविदा स्वकृति—(संविदाओं की सूचना तथा तत्संबन्धी संशोधन)

1. ब्रिटिश संभरकों को आदेश देने के तुरन्त बाद ही भारतीय आयातकों को चाहिए कि वे संविदा की पांच प्रतियां प्रशासकीय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करें। भारत सरकार द्वारा संविदा अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर ही लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह विदेशी संभरकों को दिए गए प्रत्येक आदेश के सम्बन्ध में संविदा अथवा संविदा अधिसूचना की चार प्रतियों (संलग्न अनुबन्ध 1 के रूप में) को यू० के० संभरक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित "संविदा प्रमाण-पत्र" की पांच प्रतियों (संलग्न अनुबन्ध 2 अथवा अनुबन्ध 2(बी) के रूप में जो भी उपयुक्त हो) के साथ सहायता लेखानियंत्रक, आर्थिक कार्यविभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें।

विशेष ध्यान दीजिए : चूंकि कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि संविदा य० के० सरकार से विधिवत् अनमोदित नहीं करा ली जाती है, इसलिए लाइसेंसधारी को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि संविदा/संविदा अधिसूचना की प्रतियां संभरक के संविदा प्रमाण पत्रों के साथ शीघ्रातिशीघ्र ऊपर बताए गए के अनुसार वित्त मंत्रालय (सहायता लेखा नियंत्रक) जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दी जाती हैं।

2. वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक तथा ऋण का नाम भलीभांति लिख दिया गया है।

3. वित्त मंत्रालय, मुख्य लेखाधिकारी, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से यू० के० ऋण में से की जा रही संविदा के अन्तर्गत भुगतान के संबन्ध में यू० के० सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रलेखों के एक सेट को फाइल करने के लिए व्यवस्था करेगा। यू० के० सरकार द्वारा निर्णय की जान लेने के यथाशीघ्र बाद ही यू० के० संभरकों और साथ ही साथ लाइसेंसधारी को उपर्युक्त निर्णय के सम्बन्ध में मुख्य लेखाधिकारी लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वित्त मंत्रालय को परामर्श देते हुए सीधे ही अवगत कराया जाएगा।

4. यदि किसी संविदा (उस संविदा के संबंध में जिसमें यू०के० सरकार की स्वीकृति प्राप्त करली गई है या प्राप्त करनी है) में संशोधन किया जाता है या संविदा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि से अधिक धनराशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करे और इसके बाद शीघ्रातिशीघ्र तत्सम्बन्धी अनुपूरक अथवा संशोधित दस्तावेजों और संविदा के लिए संशोधनों तथा संशोधित "संविदा-प्रमाण-पत्रों" की प्रतियों को सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेजे ताकि वे इसकी सूचना यू० के० सरकार को देने और उनका अनुमोदन प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। संविदा/आदेश में संशोधन के लिए यू० के० सरकार से जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होता है, तो लाइसेंसधारी और वित्त मंत्रालय को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा ठीक उसी विधि से जैसे मूल संविदा के लिए है, सूचित कर दिया जाएगा।

5. यदि, किसी मामले में, विदेशी संभरक के भारतीय अभिकर्त्ता के साथ संविदा की जाती है, तो उस यू० के० संभरक के नाम का संकेत इसमें होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस ऋण के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा। ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियां जो यू० के० संभरकों साथ भारतीय अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई है, यदि इस प्रकार की पृथक संविदाएं हों) भेज दिया जाना चाहिए।

4.—यू० के० संभरकों के लिए भुगतान—साख-पत्र प्रक्रिया

विशेष ध्यान दीजिए : (सामान्य रूप से लागू होने वाली भुगतान प्रक्रिया नीचे निर्धारित है। विशेष मामलों में एक भिन्न भुगतान प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है और उस स्थिति में आयात लाइसेंस उस विशेष प्रक्रिया के अधीन जारी किए जाएंगे)।

1. सी ए ओ भारत के उच्चायोग, लंदन से संविदा अनुमोदन के संबंध में सूचना की प्राप्ति के बाद (देखिए उपर्युक्त खंड—3) लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह यू० के० संभरकों के नाम में यू० के० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में भारत में किसी मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण-पत्र हेतु सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन

दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आवेदन करें : प्राधिकरण-पत्र के लिए आवेदन पत्र अनुबन्ध–3 में दिए गए के अनुसार होना चाहिए और उसके साथ भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्राप्त बैंक गारंटी (अनुबन्ध–4 में दिए गए के अनुसार) भी संलग्न की जानी चाहिए। बैंक गारंटी की धनराशि प्रस्तावित प्राधिकार पत्र में स्टर्लिंग मूल्य के समतुल्य रुपये से कम की नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व विदेश व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 110–आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 1, सितम्बर, 1971 (23 अगस्त, 1971 से 19 दिसम्बर, 1971 की अवधि के लिए), सार्वजनिक सूचना संख्या 15–आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 28 जनवरी, 72 (20 दिसम्बर, 1971 से 25 जून, 1972 तक की अवधि के लिए) तथा सार्वजनिक सूचना संख्या: 108–आई टी सी (पी एन)/ 72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 से 26 जून, 1972 से आगामी आदेशों के जारी होने तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचनाओं में निर्धारित परिवर्तन की मिली-जुली दर ही समतुल्य रुपये की गणना करने के लिए लागू की जायगी। समतुल्य रुपये के लिए लागू की जानेवाली मुद्रा विनिमय की दर की गणना समय समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं तथा विदेशी मुद्रा देने में प्राधिकृत व्यापारियों के लिए समय समय पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किए गए मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्र में यथा अधिसूचित की गई मिश्रित दर के हिसाब से की जायेगी। प्राधिकरण पत्र के लिए आवेदन पत्र, लाइसेंसधारी द्वारा, सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे जाने चाहिए।

टिप्पणी :–सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं में बैंक गारंटी लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा (जिसमें इसके सहायक भी शामिल हैं) अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसी भी शाखा के माध्यम से साख-पत्र खोले जाएंगे।

2. अगर आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्यविभाग, नई दिल्ली, आयातक को तथा साथ ही साथ सम्बद्ध भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक **अन्य बातों के साथ साथ** यू०के० सरकार के संविदा अनुमोदन सं० को शामिल करते हुए अपेक्षित धनराशि के लिए प्राधिकरण जारी करेगा। वित्त मंत्रालय सम्बद्ध यू० के० बैंक तथा मुख्य लेखा अधिकारी, भारत के उच्चायोग, लंदन को भी उपयुक्त रूप से परामर्श देगा। लेकिन, यू० के० बैंक के लिए परामर्श, उनके प्राधिकरण पत्र की प्राप्ति के साथ भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक को भेज दिया जाएगा, और उन्हें चाहिए कि वे साख-पत्र खोलते समय इसे यू० के० बैंक को प्रेषित करें।

3. प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए) के जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर साख-पत्र खोल दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्राधिकरण समाप्त हो जायगा। साख-पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है; नीचे के खंड 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए; भुगतान के बाद दस्तावेजों के प्रेषण करने से संबंधित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए तथा इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए कि लाभ प्राप्त कर्त्ताओं द्वारा प्रारम्भिक रूप में अपनी निधि में से भुगतान करने के पश्चात यू० के० में सम्बद्ध बैंक उसकी प्रतिपूर्ति, मुख्य लेखा अधिकारी, भारत का उच्चायोग, लंदन के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, लंदन से प्राप्त करेगा। साख-पत्र खोलने से संबंधित, भारतीय मुद्रा विनिमय बैंक के अनुदेश अवश्य ही वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्णतया अनुरूप होने चाहिए। किसी भी हालत में इस में इस से असंगति नहीं होनी चाहिए।

4. साख-पत्र में स्पष्ट रूप से ऋण शीर्षक तथा यू० के० प्राधिकारी के साथ की गई संविदा अनुमोदन संख्या चिह्नित होनी चाहिए।

5—प्रलेखन

1. यह देखने की ज़िम्मेदारी आयातक की है कि भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू० के० संभरक यू० के० बैंक को नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता है :—

(1) चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक बीजक में आयातक का नाम और पता; संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण, सभी व्यापार छूटों को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत वितरण के आधार (जहाज पर निःशुल्क, लागत तथा भाड़ा, लागत-बीमा भाड़ा तथा जहाज तक निःशुल्क) को प्रदर्शित करना चाहिए, और किसी प्रकार की आनुसंगिक सेवाएं जिनमें वितरण या समुद्री या परिवहन बीमा सेवाएं शामिल हैं उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए ।

(2) महासागर या चार्टर-पार्टी लदान-पत्र या वायुमार्ग बिल या डाक पारसल की रसीद की एक प्रति (या फोटोस्टेट) । (लदान-पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी भी मुद्रा में किया गया हो) ।

(3) अनुबन्ध 5 में दिए गए के अनुसार भुगतान प्रमाणपत्र की चार प्रतियां [ऐसी संविदाओं के सम्बन्ध में इनकी आवश्यकता नहीं जिनके लिए अनुबन्ध 2(बी) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाणपत्र (रसायनिक) की पूर्ति की गई है] इस कार्य के लिए संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय भरने के लिए निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र के पांच खाली प्रपत्र साख-पत्र के साथ संलग्न करने चाहिए ।

प्रत्येक दस्तावेज में ऋण संख्या, आयात-लाइसेंस का विस्तृत ब्यौरा और यदि संभव हो, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साखपत्र प्राधिकरण के विवरण का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए ।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि यू० के० संभरकों द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं नोट कर ली गई हैं और उन का अनुपालन किया गया है, भारत में प्राधिकृत मुद्रा विनिमय बैंक, साख पत्र खोलते समय, आयातक की ओर से साखपत्र में आवश्यक शर्तें समाविष्ट करने का ध्यान रखेगा ।

3. यू० के० संभरकों को भुगतान हो जाने के बाद यू० के० में व्यवसायी बैंक दस्तावेजों के मूल्यविनिमय सैट को हवाई डाक द्वारा संबद्ध भारतीय बैंक को भेजेगा (भारतीय बैंक यू० के० सरकार को बैंक प्रभार प्रेषित करेगा और उसकी अदायगी आयातक से करेगा) । इसके साथ ही साथ, यू० के० बैंक मुख्य लेखा अधिकारी, भारतीय उच्चायोग, लंदन से अपने द्वारा संभरकों को चुकाई गई धनराशि की प्रतिपूर्ति का दावा करेगा और इस उद्देश्य के लिए संभरकों से प्राप्त बीजकों को तथा जहां आवश्यक हो, अनुबन्ध 5 के अनुसार भुगतान प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करेगा । मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, लंदन के माध्यम से यू० के० बैंक को भुगतान की व्यवस्था करेगा ।

6— रूपया निक्षेप के लिये भारतीय बैंक के उत्तरदायित्व :

1. यू० के० संबद्ध बैंक से जहाज लदान प्रलेखों के साथ भुगतान के परामर्श की पावती के 7 दिनों के भीतर भारतीय सम्बद्ध बैंक आयातक से "मिश्रित विनिमय दर" जो इस कार्य के लिए समय समय पर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्धारित की गई थी—देखिए भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 110—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 1, सितम्बर, 1971 (23 अगस्त, 1971 से 19 दिसम्बर 1971 तक की अवधि के लिए), सार्वजनिक सूचना संख्या : 15—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 28 जनवरी, 1972 (20 दिसम्बर,

1971 से 25 जून, 1972 तक की अवधि के लिए) तथा सार्वजनिक सूचना संख्या : 108—आई-टी सी (पी एन) / 72, दिनांक 21 जुलाई 1972, 26 जून 1972 से आगामी आदेशों के जारी होने तक या विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राधिकृत व्यापारियों के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी किए गए विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित की गई दर के हिसाब से आयात की कीमत को रुपये में वसूल करेगा और उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद भी वसूल करेगा जो यू० के० बैंक द्वारा यू० के० सप्लायरों को दिए गए भुगतान की तारीख से लेकर निक्षेप किए गए समतुल्य रुपये की तारीख तक के लिए होगा ।

2. ऊपर उल्लिखित धनराशि भारतीय बैंक द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया दिल्ली में भारत सरकार के साख में निक्षेप किया जाना चाहिए या यदि यह सम्भव नहीं हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया, सीमा हजारी शाखा, दिल्ली में उनके नाम डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषण किया जाना चाहिए । इसके बाद बीजक/पोतलदान प्रलेखों तथा उस विभाग का वह प्राधिकरण जो सौदे से संबंधित है, उनके संदर्भों का उल्लेख कर तथा उनकी प्रतियां संलग्न कर निक्षेप करने का साक्ष्यांकन करते हुए राजकोष चालान रजिस्ट्री डाक द्वारा सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दिया जाना चाहिए । भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने पर भारतीय सम्बद्ध बैंक सेवाओं से सम्बन्धित अतिरिक्त खर्चों की ऐसी राशि को भी मांग करने के सात दिनों के भीतर जमा करने की व्यवस्था उसी तरीके से करेगा । लाइसेंसधारी को यह भी चाहिए कि भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 184—आई टी सी (पी एन) / 68, दिनांक 30 अगस्त, 1968 के अनुबन्ध—2 में शामिल किए गए 'एस' प्रपत्र की दो प्रतियों को भरे और उस उक्त सार्वजनिक सूचना में निहित प्रक्रिया के अनुसार रुपया जमा करने के लिए व्यवस्था करते समय अपने बैंक को प्रस्तुत करे ।

3. सूद प्रभार सहित वह राशि जो भारत सरकार के खाते में जमा की जानी है वह इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा करवाई जाएगी ।

"सैक्शन टी—डिपोजिट एंड एडवान्सेज—पार्ट—2—डिपोजिट्स—डिपोजिट्स नाट बियरिंग इन्टरेस्ट—(सी)—अदर डिपोजिट्स एकाउन्ट्स—सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजिस एग्राड फ्राम दि यू० के० परचेजिस अन्डर यू० के० लोन—परचेजिस अन्डर दि यू० के०/इंडिया मिक्सड प्रोजेक्ट लोन 1972"

और महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को लेखाधिकारी के रूप में दिखाया जायगा जो इन साखों को समायोजित करेगा ।

4. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई बैंक गारन्टी और साख प्राधिकरण की शर्तों के अन्तर्गत दायित्वों को पूरा किए जाने के बाद सम्बद्ध भारतीय बैंक सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जीवन दीप बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को बैंक गारंटी की रिहाई के लिए आवेदन कर सकता है । आवेदन-पत्र सम्बद्ध भारतीय बैंक (आयातक द्वारा नहीं) द्वारा भेजा जाना चाहिए और यह अनुबन्ध—6 में निर्धारित प्रपत्र में ही होना चाहिए ।

7—आयात लाईसेंस के प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट

संलग्न अनुबन्ध 7 में दिए गए प्रपत्र के रूप में लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए एक त्रैमासिक रिपोर्ट त्रैमासिक के अनुवर्ती मास की 15 तारीख को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई—2 अनुभाग) नई दिल्ली को तथा उसकी एक प्रति औद्योगिक विकास मंत्रालय, विदेशी मुद्रा विनिमय अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

8—विविध अनुदेश

1. **यू० के० संभरकों से धन-वापसी.**—लाइसेंसधारी द्वारा यदि किसी प्रकार की धनराशि यू० के० संभरक अथवा गारंटीकर्त्ता (बीमा कम्पनी आदि) से वापसी के रूप में या बीमा-दावे की व्यवस्था के रूप में अथवा अन्यथा रूप से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी राशि संभरक द्वारा यू० के० में संबद्ध बैंक को (जिसके द्वारा प्रारम्भ में संभरक को भुगतान किया गया था) इन अनुदेशों के साथ वापस की जानी चाहिए कि वे ऐसी राशि को शीघ्र ही मुख्य लेखा अधिकारी भारत का उच्चायोग, लंदन को ऋण लेखे में साख के बदले वापस करें। इस प्रकार ऋण लेखे में जमा करने के पश्चात्, आयातक को रुपए में समतुल्य राशि वापस करने की व्यवस्था, आयातक द्वारा दावे की रसीद प्रस्तुत करने पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यदि ऋण के समाप्त होने के पश्चात् कोई वापसी प्राप्त होती है तो उसे संभरक द्वारा आयातक को सीधे ही अदा कर दिया जाएगा।

जब कभी इस प्रकार की वापसी प्राप्त होती है तो उसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भी भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति औद्योगिक विकास मंत्रालय, विदेशी मुद्रा अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए।

2. **संभरक को विशेष शर्तें अधिसूचित करना.**—यदि आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्तें हों जो कि संभरक पर सौदे का पालन करने में प्रभाव डालें, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि संभरक को इन से अवगत कराएं।

3. **विवाद.**—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच विवाद उठेगा तो भारत सरकार किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेगी।

4. **भविष्य के लिए अनुदेश.**—आयात लाइसेंस या इससे सम्बन्धित किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत सभी प्रकार के आभारों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का तुरन्त पालन करेगा।

5. **उल्लंघन या अतिक्रमण.**—उपर्युक्त कंडिका में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

9—शीर्षकों के अनुसार अनुबन्धों की सूची :

1.	अनुबन्ध 1	संविदा की अधिसूचना।
2.	अनुबन्ध 2	संविदा प्रमाण-पत्र।
3.	अनुबन्ध 2(बी)	संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक)।
4.	अनुबन्ध 3	साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।
5.	अनुबन्ध 4	बैंक गारंटी का प्रारूप।
6.	अनुबन्ध 5	भुगतान प्रमाण-पत्र।
7.	अनुबन्ध 6	गारंटी के बंटन करने से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप।
8.	अनुबन्ध 7	आयात लाइसेंस के लिए आदेश देने तथा उसका उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट।

अनुबंध—1

संविदा की अधिसूचना

यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972

सेवा में,

विदेशी सरकारों और प्रशासनों के लिए क्राउन एजेंट्स
4, मिलबैंक,
लन्दन एस डब्लू 1

परियोजना———————————————
संविदा की अधिसूचना सं०———————————

जिस संविदा के अधीन यह प्रस्तावित किया गया है कि उपर्युक्त ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाएंगे उसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

1. यू०के० के संविदाकर्त्ता का नाम और पता
2. संविदा की तिथि
3. भारतीय क्रेता का नाम
4. माल का संक्षिप्त विवरण और/या कार्य अथवा सेवाएं
5. संविदा का मूल्य : पौंड———————————
6. भुगतान की शर्तें

भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षरित
दिनांक———————

अनुबंध—2

यू०के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972

संविदा प्रमाणपत्र

संविदा के ब्यौरे

1. संविदा की तिथि——————— 2. संविदा सं०———————

3. उन माल या सेवाओं का विवरण जिनकी आपूर्ति क्रेता को की जानी है

यदि कई मदों की आपूर्ति की जानी है तो एक विस्तृत सूची इस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

4. क्रेता द्वारा चुकाया जाने वाला कुल संविदा मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा, लागत-भाड़ा, या जहाज-पर्यन्त-निशुल्क का उल्लेख करें) पौ०———————————

यदि माल की आपूर्ति की जानी है तो निम्नलिखित खंड अवश्य पूरे किए जाने हैं।

यदि संविदाकर्त्ता केवल निर्यात करने वाला अभिकर्त्ता है तो अपेक्षित सूचना निर्माणकर्त्ता से प्राप्त करनी चाहिए।

5. जो माल मूल रूप से यू०के० का नहीं है परन्तु संविदाकर्त्ता द्वारा विदेश से सीधे खरीदा गया है उसके जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत अर्थात् विनिर्माण के लिए उपयोग की गई आयातित कच्ची सामग्री या संघटकों का प्रतिशत :—

(क) प्रतिशत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य———

(ख) मद का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण———

6. विदेश से उद्भूत किसी कच्ची सामग्री या संघटक जैसे तांबा, एस्बेसटोज, कपास, लकड़ी-लुगदी आदि का उपयोग किया गया परन्तु वे संविदाकर्त्ता द्वारा इस संविदा के लिए यू०के० में खरीदी गई हैं तो इनका उल्लेख कीजिये :—

(क) प्रतिशत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य———

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण———

यदि सेवाओं की आपूर्ति की जानी है तो निम्नलिखित खंड को भी पूर्ण किया जाना चाहिए ।

7. निम्नलिखित द्वारा क्रेता के देश में किसी किए जाने वाले कार्य या सेवा के अनुमानित मूल्य का उल्लेख कीजिये :—

(क) आपकी फर्म (साइट इंजीनियर के खर्चे आदि)———

(ख) स्थानीय संविदकर्त्ता———

8. उपर्युक्त पैरा 5, 6 या 7 के संबंध में यथा आवश्यक अर्हता प्राप्त करने वाली अभ्युक्तियां——

9. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं निम्नलिखित नाम वाले संविदाकर्त्ता द्वारा यू०के० में नियोजित हूं और इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे प्राधिकार प्राप्त है । मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि जो माल या सेवाएं मूल रूप से यू०के० की नहीं हैं उनकी आपूर्ति उपर्युक्त पैरा 5, 6, 7 और 8 में निर्दिष्ट माल या सेवाओं को छोड़कर संविदाकर्त्ता द्वारा इस संविदा का निष्पादन करने में नहीं की जाएगी ।

टिप्पणी :— इस घोषणा के लिए दि चेनल आइलैंड और आइल ऑफ मैन, यूनाईटिड किंगडम में शामिल हैं ।

संविदाकर्त्ताओं को यह बात नोट कर लेनी चाहिए कि जब तक स्वीकृति अधिसूचित न कर दी जाए तब तक माल का विनिर्माण नहीं होना चाहिए ।

हस्ताक्षरित———

ओहदा———

संविदाकर्त्ता का नाम और पता———

———

दिनांक ———

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

परियोजना का नाम या संख्या **भुगतान**

बचनबद्ध धनराशि	प्रविष्टि की तिथि	स्वीकृति तिथि	आदेशाक्षर	तिथि	धनराशि	पी ए सं०	आदा०

अनुबंध—2 (बी)

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972

केवल रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए संविदा प्रमाण-पत्र

1. संविदा की तिथि———— संविदा संख्या————
लाइसेंस सं०———— दिनांक————

2. खरीददार को सभरण किए जाने वाले उत्पाद (दों) का विवरण	पौंड कीमत	यू०के० दर-सूची वर्गीकरण सं०	क्या उत्पाद यू०के० मूल का है ।
(टिप्पणी ए)		(टिप्पणी बी)	(टिप्पणी सी देखिए) हां या नहीं लिखिए ।

3. खरीदार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल/अनुमानित/संविदा कीमत स्टर्लिंग—पौंड में

4. (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और वैध प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकार मुझे प्राप्त हैं और यह कि उपर्युक्त सूचना सही है ।

हस्ताक्षरित————
पद जिस पर है————
दिनांक———— संविदाकर्त्ता का नाम और पता————

टिप्पणी

(ए) इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए किया जाना है जिनमें अधिकतर को यू० के० दर-सूची के अध्याय 15, 25, 28—35 तथा 37—40 के उपयुक्त उप शीर्षकों द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

(बी) देखिए

(1) एच० एम० कस्टम तथा एक्साईज टैरिफ एच० एम० एस० ओ०

(2) अमेल्य नामावली एच० एम० एस० ओ० में रसायनों का वर्गीकरण

(सी) (1) या तो पूर्ण रूपेण यू०के० देशी सामग्री से तैयार किया गया उत्पाद या पूर्णरूपेण या अंश में आयातित सामग्री उपयोग करके उपयुक्त ई० एफ० टी० ए० अर्हकारी संसाधन-क्रिया के अनुसार तैयार किया गया उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाएगा ।

(2) ई० एफ० टी० ए० संसाधन-क्रिया "निर्यातकों के उपयोग के लिए ई० एफ० टी० ए० सार संग्रह" एच० एम० एस० ओ० की अनुसूची 1 में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाता है कि "विकल्पी प्रतिशत मापदण्ड" लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त अनुसूची में जहां कहीं शब्द 'क्षेत्र मूल' आते हैं उनका तात्पर्य केवल यू० के० मूल समझना चाहिए ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए "मूल माल की अनुसूची" (ई० एफ० टी० ए० सार संग्रह की अनुसूची 3 लागू नहीं होती है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिए अर्हकारी संसाधन-क्रिया सूचीबद्ध नहीं है तो यू०के० सरकार से सलाह ले लेनी चाहिए ।

(डी) इस घोषणा के लिए यू० के० में चेनल लाइलैंड तथा आइल आफ मैन शामिल है ।

अनुबंध—3

साख पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

नियंत्रक महायता लेखा,
अर्थ कार्य सहायता लेखा अनुभाग,
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली–1.

विषय :— यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972 के अधीन यू० के० से————— का आयात ।

उपर्युक्त यू०के० ऋण के अधीन यू०के० से————————का आयात करने के संबंध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं जिससे आप हमारे बैंकरों के माध्यम से आप द्वारा मनोनीत यू०के० बैंक में साख पत्र खोलने के लिए हमें प्राधिकरण जारी कर सकें :—

(क) आयात लाइसेंस का विवरण	मूल्य (रुपयों में)	तिथि जिस तक वह वैध है ।
सं० और तारीख		

(ख) लाइसेंस का स्टर्लिंग में मूल्य :

(प्रति पौंड 18.968 रुपये की दर से परिकलित) या ऐसी दूसरी अन्य "केन्द्रीय दर" पर परिकलित जो समय समय पर भारत सरकार और या/रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(ग) यू०के० संभरक/संभरकों का नाम/और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धन राशि/राशियां (दिए गए आदेश और उसके लिए यू०के० संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जाती है) ।

(घ) संबद्ध यू०के० बैंक का नाम जिसमें साख-पत्र स्थापित किया जाना है ।

(ङ) उस भारतीय बैंक का नाम जिस ने बैंक गारन्टी दी है और जो साख-पत्र खोलेगा । स्टाम्प एक्ट, 1899 की धारा 31 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार कलक्टर द्वारा विधिवत् न्याय निर्णीत बैंक गारंटी जो————————द्वारा प्रस्तुत की गई है, संलग्न है ।

भवदीय,

(लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर और पूरा पता)

अनुबंध—4

बैंक गारंटी का प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
द्वारा
सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय,
अर्थ कार्य विभाग,
नई दिल्ली—1

भारत के राष्ट्रपति के बदले में जिसे आगे 'सरकार' कहा गया है निम्नलिखित द्वारा आयात किए जाने वाले माल की कीमत का विदेशी मुद्रा में भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए :—

(1) फर्म का नाम

(2) तथा किस्म जिसके अधीन

(3) व्यक्ति/भागीदार काम कर रहा है (नाम) और (पते)

*सर्वश्री————————एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय————————राज्य ————————में है जिन्हें आगे————————रुपये के लिए प्रदान किए गए आयात लाइसेंस सं०————————दिनांक————————के अन्तर्गत "आयातक" कहा गया है, हम एतद्द्वारा गारंटी देते हैं कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली/स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में सरकार के खाते में या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी शाखा दिल्ली के नाम दर्शनी हुन्डी जो उक्त तीस हजारी शाखा को (केन्द्रीय सरकार के लेखे में क्रेडिट के लिए) अग्रसारित की जाती है, के द्वारा निम्नलिखित धनराशि जमा करने की व्यवस्था करेंगे :—

(1) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साख-पत्र प्राधिकरण के अधीन यू०के० बैंकों द्वारा स्टर्लिंग में किए गए भुगतानों को प्रदर्शित करते हुए बीजक के मूल्य के बराबर

रुपयों के भुगतान की सूचना और लदान दस्तावेजों की यू०के० बैंकों से प्राप्ति के सात दिनों के भीतर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा निर्धारित की गई मुद्रा विनिमय की मिश्रित दर पर धनराशि यह मिश्रित दर, जब तक दूसरी दर सार्वजनिक सूचना के द्वारा या रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारियों को मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों द्वारा अधिसूचित नहीं कर दी जाती। पौ०=19.96 रूपये है देखिये सार्वजनिक सूचना सं० 108/आई० टी० सी० (पी एन)/72 दिनांक 21 जुलाई, 1972 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 15-आई० टी० सी० (पी एन)/72 दिनांक 28.1.72, और उक्त धन राशि पर यू० के० संभरकों को भुगतान करने की तिथि से समतुल्य रुपया भुगतान करने की तिथि तक के समय पर 6% सालाना की दर से ब्याज और बैंक प्रभार।

(2) ऐसी अतिरिक्त धन राशि जो कि सेवा प्रभार के लिए देय होने पर सरकार द्वारा मांगी जा सकती है, मांगी जाने के 7 दिनों के भीतर।

2. आयातकों द्वारा उपर्युक्त भुगतान करने में असफल रहने पर या लापरवाही करने की स्थिति में हम----------सरकार को उसके द्वारा मांग करने पर ऐसी धनराशि जो----------रुपये से अधिक न हों और उस पर उपर्युक्तानुसार ब्याज तथा सेवा प्रभार हो) बिना किसी आपत्ति के चुकाने का वचन देते हैं और आयातकों की ओर से ऐसी असफलता या लापरवाही के संबंध में और हमारे द्वारा सरकार को देय धन राशि के संबंध में सरकार का निर्णय हमारे लिए अन्तिम और अनिवार्य होगा।

3. हम, ----------सहमत हैं और वचन देते हैं कि जब तक यथा पूर्वोक्त तुल्य रुपया या कोई अन्य देय धन राशि जो सरकार द्वारा मांगी जाए, सरकार के खाते में जमा नहीं कर दी जाती तब तक आयातकों को पोत परिवहन दस्तावेज रिहा नहीं किए जाएंगे।

4. हम,----------सहमत हैं और वचन देते हैं कि इस गारंटी को इसके लागू होने के दौरान सरकार को लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे।

5. इसमें निहित गारंटी, आयातकों अथवा हमारी संस्था के संविधान में होने वाले किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

6. सरकार को इस गारंटी को प्रभावित किए बिना उपर्युक्त निर्दिष्ट आयात लाइसेंस की शर्तों में कोई परिवर्तन करने या समय समय पर आयातकों द्वारा भुगतान करने की अवधि में वृद्धि करने या इसके द्वारा किसी समय तथा समय समय पर आयातकों के प्रति प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों को स्थगित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और इस गारंटी में पूर्वोक्त धन राशि के संदर्भ में सरकार द्वारा कोई भी अधिकार प्रयोग करने की स्वतंत्रता के कारण अथवा आयातकों को दिए जाने वाले समय में परिवर्तन या वृद्धि के कारण अथवा सरकार की ओर से किसी प्रतिबंध अधिनियम या छूट अथवा सरकार द्वारा आयातकों पर किसी प्रकार की क्षमा अथवा कोई भी मामला या वस्तु, जो कि कानून के अनुसार प्रतिभूतियों से संबंधित हो इस परंतुक के लिए, हमारे----------(बैंक का नाम) दायित्वों पर कोई भी प्रभाव डाले बिना हमें----------हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

इस गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व----------रुपये (जमा यथापूर्वोक्त ब्याज तथा सेवा प्रभार) तक प्रतिबंधित है और यह तिथि** मास--197---- तक लागू रहेगा। हम

*जो लागू न हो उसे काट दें।

**जिस तिथि तक सभी भुगतान पूर्ण हो जाने की आशा है उस तिथि में 1 मास जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी।

ऐसे अतिरिक्त निक्षेप करने का भी बचन लेते हैं जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 108–आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 21 जुलाई, 1972 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 15–आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28 जनवरी, 1972 की शर्तों के अनुसार या समय समय पर अधिसूचित सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवश्यक हों । इस तिथि से 6 महीनों के भीतर इस बांड/गारंटी के अधीन लिखित रूप में दावे हो जाने के बाद और अगले 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कार्रवाई हो जाने के बाद अर्थात् ————————तक इस गारंटी के अधीन सरकार के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और इसमें निहित सभी उत्तरदायित्वों से हमें छुटकारा और मुक्ति मिल जाएगी ।

भवदीय,

स्थान

दिनांक.

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी,
के हस्ताक्षर और बैंक का पूरा पता ।

(बक गारंटी एक न्यायकेतर स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जानी है, स्टाम्प का मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 31 की शर्तों के अनुसार समाहर्ता द्वारा निर्णीत की जाएगी) ।

अनुबंध 5

यू० के०/भारत मिश्रित परियोजना ऋण, 1972

भुगतान प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :—

(i) नीचे सूचीबद्ध बीजकों में उल्लिखित भुगतान जो मूल रूप में या प्रतियों के रूप में इस भुगतान प्रमाणपत्र के साथ हैं, देय हो गए हैं और संविदा सं०————————— दिनांक————————के संबंध में निम्नलिखित नाम के संविदाकर्ता ————————— और खरीददार ————————————के बीच चुकाए जाने हैं और ये भुगतान दिनांक————————————को उक्त संविदाकर्ता की ओर से हस्ताक्षरित संविद प्रमाणपत्र में अधिसूचित इस संविदा के ब्यौरे के अनुसार है :—

संविदा की बीजक सं०	दिनांक	धनराशि	माल,कार्यों/और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

(ii) पैरा 1 में निर्दिष्ट धनराशियों में संविदा प्रमाणपत्र के पैरा 5,6 या 7 में घोषित धनराशियों की कोई अतिरिक्त विदेशी मात्रा शामिल नहीं है ।

(iii) मुझे निम्नलिखित नाम के संविदाकर्ता की ओर से इस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है ।

हस्ताक्षरित————————
औहदा————————
संविदाकर्ता जिस की ओर से————
हस्ताक्षर करने का प्राधिकार————
है, का नाम और पता————————
दिनांक————————

टिप्पणी:—इस घोषणा के लिए चैनल आइलैंड और आइल आफ मैन, यू०के०में शामिल हैं

अनुबंध 6

बैंक गारंटी मुक्त कराने के लिये आवेदनपत्र का प्रपत्र

सेवा में,

सहायता लेखा नियंत्रक
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
जीवन दीप बिल्डिंग,
10, पार्लियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली–1

महोदय,

हम गारंटी सं०————————दिनांक————————धनराशि रु०————————के अधीन अपने उत्तरदायित्व का पालन करने में हमारे द्वारा जमा किए गए रू० की विस्तृत जानकारी इस आवेदन के साथ नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह बैंक गारंटी मुक्त की जाए और हमें लौटा दी जाए :—

1. आयातक/लाइसेंसधारी जिसकी ओर से गारंटी प्रस्तुत की गई थी, का नाम और पूरा पता ।

2. आयात लाइसेंस सं० दिनांक, मूल्य और उसके अधीन आयात के लिए अनुमत पण्य वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण ।

3. साख पत्र खोलने के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकरण(णों) के ब्यौरे—

(क) पत्र संख्या और दिनाक ।

(ख) प्राधिकरण की धनराशि ।

(ग) यू० के० ऋण संख्या ।

4. आयातों और जमा किए गए रुपये के ब्यौरे (प्रत्येक साखपत्र प्राधिकरण के लिए अलग अलग दिए जाने हैं)—

(क) खोले गए साखपत्र के ब्यौरे (सं०, दिनांक, मूल्य और संभरक का नाम) ।

(ख) प्रत्येक साखपत्र से संबंधित बीजक की सं० और दिनांक

(ग) स्टर्लिंग में बीजक की धनराशि (वास्तविक)

(घ) जमा किए गए रुपये की धनराशि

(ङ) संबंधित जालान सं० और दिनांक और राजकोष/बैंक का नाम

(च) यदि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा है, तो डिमांड ड्राफ्ट की संख्या और दिनांक और जिस पत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया को भेजा गया था उसकी सं० और दिनांक

5. प्रत्येक साखपत्र प्राधिकरण में उपयोग की गई और उपयोग न की गई शेष धनराशि (स्टर्लिंग)

(ii) हम प्रमाणित करते हैं कि :—

1. वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण(णों) में उपलब्ध.....पौ० की शेषधन राशि उपयोग नहीं की गई है/उपयोग नहीं की जाएगी ।

अथवा

प्राधिकरण(णों) के अधीन कोई साखपत्र नहीं खोला गया था और प्राधिकरण(णों) समाप्त हो गया ।

अथवा

प्राधिकरण(णों) पत्र के आधार पर खोला गया साखपत्र बिना उपयोग किए समाप्त हो गया । और

2. विषयाधीन गारंटी के अधीन हमारे दायित्व विधिवत् पूरे हो गए हैं ।

(iii) हम अनुरोध करते हैं कि बैंक गारंटी कृपया मुक्त की जाए और रद्द करने के लिए हमें लौटा दी जाए ।

भवदीय,

बैंक की ओर से प्राधिकृत एजेन्ट

अनुबंध 7

यू० के०/भारत मिश्रित वित्तयोजना ऋण, 1972 के संबंध में उपयोग की रिपोर्ट का प्रपत्र

1 अप्रैल से 30 जून तक	
1 जुलाई से 30 सितम्बर तक	
1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक	* *
1 जनवरी से 31 मार्च तक	की अवधि के लिए

उपयोग रिपोर्ट ।

**जो भाग लागू नहीं होगा उसे काट दिया जाएगा । रिपोर्ट तिमाही के अंत में तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर समर्पित और उपलब्ध कराई जाएगी (प्रत्येक लाइसेंस के संबंध में अलग से प्रस्तुत की जानी है)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम
2. यू० के० क्रेडिट के ब्यौरे
3. आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक और वह तिथि जिस तक वह वैध है
4. लाइसेंस का मूल्य
   (रुपये और स्टर्लिंग दोनों में)

---

*जो भी लागू है ।

5. वित्त मंत्रालय को अब तक अग्रसारित किए गए पूर्ण संविदा संबंधी दस्तावेजों का मूल्य (कृपया संविदा संख्याओं और सहायता लेखा नियंत्रक, द्वारा जारी किए गए प्राधिकरणों की मूल्य, सं० और तिथियों का उल्लेख कीजिए)	संविदा की संख्या और दिनांक और संभरक का नाम	पौंड में मूल्य	सहायता लेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पत्र की या ओ डी ए के लिए सी ए ओ को भेजे गए संचरण की सं० और दिनांक
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
	कुल		

6. यू० के० संभरकों को किए गए भुगतान (अद्यतन)	संभरकों के नाम	स्टर्लिंग में चुकाई गई कुल धनराशि
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
	कुल	

7. पहले ही अनुमोदित कर दी गई संविदाओं के संबंध में जो भुगतान अभी करने बाकी हैं जिस वर्ष और तिमाहियों में भुगतान करने की संभावना है उसे निर्दिष्ट किया जाए । —वही—

8. यू० के० संभरकों को भविष्य में जो आदेश देने का इरादा है, उनका मूल्य

9. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973